रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266044
CG-DL-E-10092025-266044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3970] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947
No. 3970] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

**का.आ. 4085(अ).**—जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए विविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और जबकि केंद्रीय सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एतदुपरांत उक्त मंत्रालय के रूप में संदर्भित) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के परामर्श के बाद अपने पत्र संख्या ई.एफ.सं.13(2)/2020-ईजी.II दिनांक 29.07.2025 के तहत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एतदुपरांत उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग या उक्त एजेंसी के रूप में संदर्भित), भारत सरकार (एतदुपरांत उक्त सरकार के रूप में संदर्भित) को सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (एतदुपरांत उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए यह अनुमति दे दी थी कि उक्त सरकार/मंत्रालय/विभाग/एजेंसी को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (एतदुपरांत

अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत इसे अधिसूचित किया जा सकता है। ।

और जबकि, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत यथा निर्धारित हां/नहीं या/और ईकेवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं (एतदुपरांत उक्त उद्देश्य के रूप में संदर्भित) का उपयोग करते हुए उक्त एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों के दौरान उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का प्रदर्शन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त मंत्रालय/विभाग/एजेंसी केवल उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण करेगी।

अतः, अब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त मंत्रालय/विभाग/संस्था के माध्यम से निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. 1. अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार मंत्रालय/विभाग/एजेंसी प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

2. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, मंत्रालय/विभाग/एजेंसी आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार संख्या धारक को आधार के प्रमाणीकरण से इनकार करने या असमर्थ होने पर कोई भी सेवा प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा, अर्थात्,

क. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

ख. पासपोर्ट

ग. मतदाता पहचान पत्र

घ. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

2. यह अधिसूचना भारत सरकार के दिनांक 22 अगस्त, 2025 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सां.आ. 3867 (अ.) के अधिक्रमण में जारी की जा रही है और यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. वी.11025/06/2025-एमईपी]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## (Department of Health and Family Welfare)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2025

**S.O. 4085(E).—**Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Central Government in the Ministry of Electronics and Information Technology (hereinafter referred to as the said Ministry), after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. e.F.No.13(2)/2020-EG.II dated 29.07.2025 to the National Board of Examination in Medical Sciences (NBEMS), Ministry of Health and Family Welfare (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department or the said Agency), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Government/Ministry/Department/Agency may be allowed to perform authentication and be permitted the use of

Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act).

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for verifying identity of candidates during various stages of national level medical examinations conducted by the said agency, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry/Department/Agency shall perform the Aadhaar authentication only for the said purpose.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the Central Government through the said Ministry/Department/entity hereby notifies the following, namely:—

1. 1. The Ministry/Department/Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

2. As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry/Department/Agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication namely,

a. Permanent Account Number (PAN) card

b. Passport

c. Voter Identity Card

d. Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicle Act, 1988.

2. This notification is being issued in supersession of Gazette Notification No S.O. 3867(E) of Government of India dated 22nd August, 2025 and shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. V.11025/06/2025-MEP]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.10 15:22:19 +05'30'